(6)

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा (प्रथम) सीकर

कार्यालय-आदेश

विद्या भारती उ० मा० विद्यालय, सीकर

. . . . जिला-सीकर को राजस्थान गैर सरकारी शिक्षण संस्था मान्यता एवं अनुदान नियम 1993 एवं तत्पश्चात् किये गये संशोधन के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये सत्र 2000-2001 से उच्च प्राथमिक स्तर हिन्दी माध्यम की अस्थाई मान्यता आगामी तीन सत्र के लिए (वर्ष 2000-2001 से 2002-2003 तक) उनके द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं शपथ-पत्र के आधार पर परिशिष्ट-2 की शर्तों की पूर्ति पर दी जाती है।

मान्यता शर्तों की पालना न करने अथवा किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा निरीक्षण के समय किसी भी विपरीत स्थिति पाये जाने पर संस्था की मान्यता निरस्त की जा सकती है।

ह०——
जिला शिक्षा अधिकारी
प्रा०शि०(प्रथम) सीकर

क्रमांक:-जिशिअ/प्रा०प्र०/सी/सा-1/2000/2235 दिनांक:- 12/7/2000

प्रतिलिपि:-

(1) संबंधित शाला प्रधान को पालनार्थ एवं आवश्यक शर्तों की पूर्ति करने हेतु प्रेषित है।

(2) रिकार्ड पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रा०शि०(प्रथम) सीकर

सचिव
विद्या भारती संस्थान
सीकर 332001

POONAM KANWAR
Principal (1220438)
Vidya Bharati Sr. Sec. School
SIKAR (Raj.)
Dis No. 08130512602